न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :148/2024

प्रार्थीनी:–

रिकाकंवर पुत्री आमसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. कंकरकंवर पत्नी आमसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप
3. ताराकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप
4. पारसकंवर पुत्री हड़मतसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप
5. लालसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुसीप
6. शारदादेवी पत्नी लालसिह जाति राजपुरोहित निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थीनी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.09.2024

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1432/1137 रकबा 0.0971 व खसरा संख्या 1433/1137 रकबा 3.3347 हैक्टेयर भूमि ग्राम कुसीप तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थीनी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, आदि में उसका वास्तविक नाम "रिकाकवंर पुत्री आमसिंह" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीनी का नाम "सन्दुकवंर पुत्री आमसिंह" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थीनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 6 को अभिभाषक को जवाब प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या 2 से 6 को जवाब पेश करने का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1643 दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्रेषित की गई।

वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड,जन आधार कार्ड,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका में प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''रिकाकवंर पुत्री आमसिहं'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1432/1137 रकबा 0.0971 व खसरा संख्या 1433/1137 रकबा 3.3347 हैक्टेयर ग्राम कुसीप तहसील सिवाना में प्रार्थीनी का नाम ''सिन्दु कवंर पुत्री आमसिंह'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन ग्राम कुसीप तहसील सिवाना के खाता संख्या 279 व 332 की जमाबंदी व ग्राम पंचायत कुसीप द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की गई।

विवादित भूमि के खातेदार लालसिंह पुत्र जुगतसिंह व कंकर कंवर पत्नी आमसिंह ने अपने बयाने में कथन किया है सिन्दुकंवर व रिकाकंवर दोनो एक ही है यदि रिकाकंवर का नाम दुरूस्त किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका व ग्राम कुसीप के खाता संख्या 279 व 332 की जमाबंदी आदि दस्तावेजात में प्रार्थीनी का नाम ''रिकाकंवर पुत्री आमसिंह'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीनी का नाम ''सिन्दुकंवर पुत्री आमसिंह''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''रिकाकंवर पुत्री आमसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुसीप के खसरा संख्या 1432/1137 रकबा 0.0971 व खसरा संख्या 1433/1137 रकबा 3.3347 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम ''सिन्दुकंवर पुत्री आमसिंह''के स्थान पर ''रिकाकंवर पुत्री आमसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार [illegible] किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सरे [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)